

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 2/1992

नारदे हो एवं अन्य।

बनाम

महती हो एवं अन्य।


आदेश


यह वाद दिनांक- 16.03.1992 को वादी नारदे हो, पिता- स्व० गेरे हो एवं 12 अन्य वादी, सभी का निवासी ग्राम- छोटा खुन्टा, पो०- चाईबासा, थाना- मुफसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि का Partition of the Property Fully Described के लिए प्रतिवादी महती हो, पिता- स्व० सादो हो एवं 09 अन्य प्रतिवादी, सभी का निवासी ग्राम- छोटा खुन्टा, पो०- चाईबासा, थाना- मुफसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी वादीगण या उनके अधिवक्ता की ओर से कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

अतः उक्त परिस्थिति में वादी को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


05.11.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


05.11.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।